



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 36114 वर्ष 2025

शाहनवाज़ उर्फ कंजा

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: जमाल हसन, मेहदी अब्बास

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मेहदी अब्बास और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक शाहनवाज़ उर्फ गंजा की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण के लंबित रहने के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 469/2024, अंतर्गत धारा 109 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 3/4/25 शस्त्र अधिनियम, पुलिस थाना देहात, जिला बुलंदशहर में जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 11.08.2024 से जेल में बंद है। आवेदक पर धारा 109 बी.एन.एस. के तहत आरोप लगाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह कोई चोट का वाद नहीं है। आरोप पत्र 07.02.2025 को दाखिल किया गया था। आवेदक का आपराधिक इतिहास में दो मामले दर्ज हैं, जिनका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि सह-अभियुक्त निषाद उर्फ चीपा को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 25.09.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 22454/2025 में जमानत दे दी है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या से संबंधित अभियुक्त-आवेदक को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14 जनवरी, 2026

मिनी

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।